निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 142/2012
दायरा दिनांकः—10.07.2012
निर्णय दिनांकः— 26.3.25

उनवान

1. प्रेमबाई आयु 48 वर्ष पुत्री गंगाराम जाति काछी निवासी ग्राम मूंडला तहसील छबडा हाल नाहरगढ जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नारायण उर्फ नारायण पुत्र गंगाराम जाति काछी निवासी मूंडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0) — मृतक
1/1 लीलाबाई पत्नि नारायण जाति कुशवाह निवासी मूंडला
1/2 रामभरोसी उर्फ भरोसीबाई पुत्री नारायण पत्नि बद्रीलाल कुशवाह निवासी उतावली रोड छीपाबडौद
1/3 सुनीता पुत्री नारायण पत्नि राकेश कुशवाह निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद
1/4 सावित्री पुत्री नारायण पत्नि राजु निवासी भीलवाडा नीचा तहसील छवडा
1/5 महावीर पुत्र नारायण जाति कुशवाह निवासी मूंडला
1/6 शीलाबाई पुत्री नारायण पत्नि बृजेश जाति कुशवाह निवासी हनुमान जी के मन्दिर के पास कुन्हाडी कोटा (राज0)
1/7 लालसिंह पुत्र नारायण — मृतक
1/7/1 देवकीबाई पत्नि लालसिंह कुयावाह निवासी मूंडला
1/7/2 बालवीर पुत्र लालसिंह कुशवाह निवासी मूंडला
1/7/3 गिर्राज पुत्र लालसिंह कुशवाह निवासी मूंडला

2. बद्रीलाल पुत्र छपना जाति काछी निवासी ग्राम मूंडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0) — मृतक
2/1 मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल कुशवाह निवासी मूंडला
2/2 दीनानाथ पुत्र बद्रीलाल कुशवाह निवासी मूंडला तहसील छबडा जिला बारां

3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां (राज0)
4. राजथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 26.3.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्णगोपाल भार्गव — वादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वादीया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 नारायण उर्फ नारायणलाल के पिता गंगाराम के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नम्बर 94/1रकबा 05 बीघा भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 96 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 119 रकबा 04 बीघा 02 बिश्वा, खसरा नंबर 166 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा खसरा नबर 192 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 290 रकबा 07 बिरवा खसरा नंबर 301 रकया 02 बीघा 03 बिस्वा खसरा नंबर 362 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 385 रकबा 15 बिस्वा 387 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मूंडला तहसील छबड़ा जिला बांरा (राज०) में स्थित हे जिसमें 1/2 का हिस्सेदार प्रतिवादी नंबर 02 हे जिससे किसी प्रकार का विवाद नहीं है लेकिन सहखातेदार होने परफोर्मा डिफेन्डेड पक्षकार बनाया गया हे उक्त जमीन में से 1/2 हिस्सेदार गंगाराम था जिसके मरने के बाद वादीया एवं प्रतिवादी कम 01 के नाम इतकाल खुलकर खाते लगना चाहिए थी लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियो की गल्ती के कारण अकेले प्रतिवादी नंबर ०१ के खातें लग गई जबकि खसरा नंबर 94/1 में सकेला प्रतिवादी नबर 01 ही खातेदार है। प्रकार ग्राम कछावन ने अकेले गंगाराम के खाते एवं कब्जे काश्त र भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 151 रकबा 04 बीवा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 154 रकबा 10 बीघा 02 बिरवा खसरा नंबर 163 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि में गंगाराम की मृत्यु होने पर केवल नारायण के खाते लग गई है जबकि मेरी पक्षकारा प्रेमबाई वादनी एवं प्रतिवादी नंबर 01 नाराण के इंतकाल खुलना चाहिए था जिसमे वादी/2 की हिस्सेदार है। गंगाराम के दो लड़के एवं एक लडकी हे एक लड़के नाम बालमुकन्द था जो अविवाहित ही गंगाराम के फोत होने के पूर्व ही फोत हो चुका था इस तरह से गगांराम के मात्र वादी एवं प्रतिवादी नंबर 01 वारिस हे जो गंगाराम की सम्पत्ति के 1/2,1/2 हिस्से के हिस्सेदार हे जिसका इंतकाल अकेले नाराण के नाम खोलकर कानूनी भूल की हे जिससे इंतकाल नंबर 100, वाके ग्राम कछावन एवं इसी प्रकार इतकाल नंबर 146/1 वाके ग्राम मूंडला तथा इंतकाल नंबर 147 वाके ग्राम मूंडला मे वादीया का नाम दर्ज नहीं होने से निरस्तनीय है। वादीया का पिता गंगाराम बचपन में ही फोत हो चुका था उस समय वादीया की आयु मात्र 08 साल थी जिससे वादीया को यह मालूम नहीं पड़ा कि वादीया नाम इंतकाल खुला या नहीं खुला उसके बाद वादीया एवं प्रतिवादी नंबर 01 शामिल मे काश्त करते आ रहे हे वादीया की शादी होने पर प्रतिवादी नंबर 01 एवं वादीया शामिल में काश्त करते थे तथा उपज का हिस्सा खर्चा काटकर बांट लिया करते थे इस तरह से आज तक वादीया एवं प्रतिवादी नबर 01 काश्त करते हुए आ रहे हे लेकिन पिछले साल प्रतिवादी नंबर 01 ने वादीया के उपज के हिस्से को बेचकर वादीया हो हि स्सा अदा नही किया तो वा दीया ने शिकायत की तो प्रतिवादी नंबर 01 ने हिस्सा देने से मना कर दिया ओर कहा कि जमीन मेरे खाते हे काही का हिस्सा हे तब वा दीया ने पटवारी से संपर्क कर नकले ली तो मालुम पड़ा कि वादीया के नाम इंतकाल ही नही खुला है। प्रतिवादी नंबर 03 श्रीमान जिला कलेटर बारां एवं प्रतिवादी नंबर 04 तहसील दार छबडा को वादीया ने रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही की उधर वादीया अपने हिस्से की जमीन हांकने गई तो

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादी नंबर 01 ने जमीन हाकने नहीं दी ओर धोंस दी की संपूर्ण जमीन पर ही कब्जा करूंगा जिससे वाद कारण प्रथम बार तो इंतकाल नही खुलने से व अंतिम रूप से नोटिस देने एवं जमीन पर कब्जा करने की घोंस देने पर वाद कारण पेदा हुआ। प्रतिवादीगण उता.4 राज० सरकार भूमिधारी होने से वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार हे प्रतिवादी उता.4 को नोटिस भेजा जा चुका हे लेकिन म्याद पूरी होने से पूर्व ही प्रतिवादी नंबर 01 ने वादीया के हिस्से पर कब्जा कर लेगा तो वाद की नोईत की पलट जावेगी इसलिए नोटिस म्याद पूरी होने से पूर्व ही वाद पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादी नंबर 01 अपने मनसूबो मे कामयाब हो गया तो वादीया अपनी भूमि से बेदखल हो जावेगी जिससे वादीया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी तरह से सभव नहीं हो सकेगी वादीया गरीब काश्तकार महिला हे उक्त भूमि ही वादोया के परिवार के पालन पोषन करने की एक मात्र साधन है। प्रतिवादी नंबर 01 का नाम खाते में होने से उक्त भूमि को कही पर भी खुर्दबुर्द कर सकता हे इसलिए प्रतिवादी नंबर 01 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावंद किया जाना आवश्यक हो गया कि वह प्रतिवादी नंबर 01 कि उक्त भूमि को रहन, दान, बेचान, हस्तातरण नहीं करें।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया कि प्रतिवादी के पिता गंगारम की मृत्यु आज से 50 वर्ष पहले हुई थी गंगाराम दादा छपना से पहले मरा था दादा की मृत्यु बाद में हुई थी। वादनी की माता दाखा बाई स्व0 नारायण की सम्पत्ति से समस्त हक व हिस्सा छोड कर नाते चली गई थी। ओर वादनी की माता व वादनी नाते वाले पति के साथ रही नाते वाले पति ने ही वादनी का लालन पालन व शादी आदि की है। वादनी का हिस्सा उसकी माता का हिस्सा नाते वाले पति की सम्पत्ति में है वादनी ने वाद पत्र में उसकी आयु 48 वर्ष दर्ज की है इस प्रकार आज से बीस वर्ष पूर्व बालिग हो चुकी थी 20 वर्ष की अविध में वादनी ने मृतक गंगाराम की सम्पत्ति में कोई हक व हिस्स नही मांगा। विवादित आराजी पर प्रतिवादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है वादनी का वाद अवधि बाहर है वादीया किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी का 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए By Operation of Law Efuley og Time के कारण उक्त भूमि से वादनी के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है गंगाराम के फोती नामान्तरण 30 वर्षो से भी अधिक पुराने है और यह नियमित क्रम से सम्बन्धित हुए इन पर किसी प्रकार से शक व सन्देह की गुंजाईश नही है वादनी ने नामान्तरण खारिज कराने की कार्यवाही क्यों नही की वादनी ने इतने दिनों बाद दावा क्यो किया। नामान्तरण खुलने के बाद ही नामान्तरण की अपील व दावा पेश करना चाहियें था। वादनी का वाद मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावें।

वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण नम्बर 100 ग्राम कछावन दिनांक 02.02.1975 नकल जमाबंदी ग्राम मूंडला खाता संख्या 80 नकल नामान्तरण नम्बर 147 दिनांक 19.07.1980 ग्राम मूंडला नकल नामान्तरण नम्बर 146/1 दिनांक 19.12.1978 ग्राम मूंडला नकल जमाबन्दी ग्राम मूंडला सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2068–71 खाता सं. 46, नकल जमाबंदी ग्राम कछावन सम्वत 2068–71 खाता सं. 52, नकल जमाबंदी ग्राम मूंडला सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 56 रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत मूंडला दिनांक 04.02.2014 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 प्रेमबाई PW2 रामकल्याण के बयान करायें गयें साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 नारायण DW2 रामपाल DW3 नन्दलाल के बयान करायें गये।

वादीया के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तानकीयात कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– वादीया के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 94/1 रकबा 5 बीघा हिस्सा 1/2 भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 96 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा खसररा नंबर 119 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 166 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 192 रकबा 4 विस्वा खसरा नंबर 290 रकबा 7 बिस्वा खसरानंबर 301 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा खसररा नंबर 362 रकबा 19 बिस्वा खसरा नंबर 385 रकबा 15 बिस्वा खसरा नंबर 387 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राग मूंडला मे वादीया का हिस्सा 1/4 तथा ग्राम कछावन में भूमि खसरा नंबर 118 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 151 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा खसरा नंबर 154 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 163 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि हिस्सा 1/2 हे को अच्छी में से अच्छी बुरी मे से बुरी के आधार पर अलग लगान कायम कर कृषक खातेदार घोषित किया जाये। चेना तहसील छबड़ा में स्थित हे जिससे मदी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 का हिस्सा 11/12 तथा प्रतिवादीगण 11 ता.15 का 1/12 हिस्सा हे को अलग खातें दर्ज कर लगान कायम किया जावे। वादीया

तनकी नम्बर 2 :– आया कि वादीया के पिता गंगाराम की मृत्यु आज से 50 वर्ष पूर्व से से भी अधिक समय पहले हो गई हे वादीया की माता नाते चली गई हे जिससे वादीया का हिस्सा नाते वाले पति की संपत्ति मे हे प्रति कम 1 का कब्जा 12 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है। प्रतिवादी

तनकी नम्बर 3 :– आया कि वाद म्याद बाहर पेश किया गया तथा श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे नहीं होनेसे सिविल नेचर का होने से चलने योग्य नहीं हे इसलिए वादीया का वाद खारिजे काबिल हे। प्रतिवादी

दादरसी

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कछावन व ग्राम मूंडला तह. छबडा मे स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 1/2 व 1/4 है विवादित आराजी गंगाराम के खाते की थी। गंगाराम की मृत्यु के बाद केवल नारायण के खाते दर्ज कर दी गई। जबकि वादीया प्रेमबाई भी हिस्सेदार थी। गंगाराम के दो लडके व एक लडकी थी एक लडका बालमुकन्द था जो अविवाहित फोत हो गया। गंगाराम के मात्र वादीया एवं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रतिवादी क्रम 1 वारिस है जो गंगाराम की सम्पत्ति में 1/2, 1/2 हिस्से के हकदार है गंगाराम का फोती नामान्तरण अकेले नारायण के नाम खोला गया था। नामान्तरण नम्बर 100 ग्राम कछावन एवं नामान्तरण नम्बर 146/1 व 147 ग्राम मुंडला में वादीया का नाम दर्ज नही किया जो खारिज योग्य है वादीया का पिता बचपन में फोत हो गया था तब वादीया 8 साल की थी। उस समय फोती नामान्तरण खोला गया तब वादीया नाबालिग थी वादीया का अपने पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादी के पिता गंगारम की मृत्यु आज से 50 वर्ष पहले हुई थी गंगाराम दादा छपना से पहले मरा था दादा की मृत्यु बाद में हुई थी। वादनी की माता दाखा बाई स्व0 नारायण की सम्पत्ति से समस्त हक व हिस्सा छोड कर नाते चली गई थी। ओर वादनी की माता व वादनी नाते वाले पति के साथ रही नाते वाले पति ने ही वादनी का लालन पालन व शादी आदि की है। वादनी का हिस्सा उसकी माता का हिस्सा नाते वाले पति की सम्पत्ति में है वादनी ने वाद पत्र में उसकी आयु 48 वर्ष दर्ज की है इस प्रकार आज से बीस वर्ष पूर्व बालिग हो चुकी थी 20 वर्ष की अविध में वादनी ने मृतक गंगाराम की सम्पत्ति में कोई हक व हिस्स नही मांगा। विवादित आराजी पर प्रतिवादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है वादनी का वाद अवधि बाहर है वादीया किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी का 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए By Operation of Law Efuley og Time के कारण उक्त भूमि से वादनी के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है गंगाराम के फोती नामान्तरण 30 वर्षो से भी अधिक पुराने है और यह नियमित क्रम से सम्बन्धित हुए इन पर किसी प्रकार से शक व सन्देह की गुंजाईश नही है वादनी ने नामान्तरण खारिज कराने की कार्यवाही क्यों नही की वादनी ने इतने दिनों बाद दावा क्यो किया। नामान्तरण खुलने के बाद ही नामान्तरण की अपील व दावा पेश करना चाहियें था। वादनी का वाद मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादनी को था। वादनी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 100 दिनांक 02.02.1975 ग्राम कछावन के अनुसार गंगाराम का फोती नामान्तरण एक पुत्र नारायण के नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 09.06.1967 ग्राम मूंडला मृतक छपना का फोती नामान्तरण गंगाराम फोत व बद्रीलाल एवं गंगाराम के वारिसान नारायण व बालमुकन्द के नाम दर्ज होना पाया जाता है नकल नामान्तरण संख्या 147 ग्राम मूण्डला दिनांक 19.07.1980 मृतक बालमुकन्द का फोती नामान्तरण उनके कोई लडका नही होने से उसके भाई नारायण के नाम दर्ज किया गया। नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नामान्तरण संख्या 146/1 दिनांक 19.12.1978 मृतक छपना का फोती नामान्तरण उसके पुत्र बद्रीलाल व गंगाराम के नाम गंगाराम फोत हो चुका है उसके पुत्र नारायण व बेवा दाखा बाई का नाम दर्ज हुआ। नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 46 में नारायण पुत्र गंगाराम जाति काछी का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 52 में नारायण पुत्र गंगाराम जाति काछी सा0 देह दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 56 में बद्रीलाल पुत्र छपना हिस्सा 1/2 नारायण पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/2 जाति काछी सा0 देह दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डला दिनांक 04.02.2014 द्वारा दो गवाह के आधार पर प्रथम गवाह बद्रीलाल पुत्र छपना दुसरा गवाह रामकल्याण पुत्र जयकिशन जाति बैरवा जो मूण्डला के निवासी है प्रेमबाई पुत्री गंगाराम जाति कुशवाह जो प्रार्थीया है इनके आधार पर प्रेमबाई पुत्री गंगाराम जाति कुशवाह जो गंगाराम की लडकी है तथा नारायण पुत्र गंगाराम जो मूण्डला का निवासी है इसकी बहिन है जिसका नाम प्रेमबाई कुशवाह है जो प्रमाणीत किया जाता है प्रस्तुत रिकार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डला के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रेमबाई गंगाराम की लडकी है बयान DW1 नारायण द्वारा अपने शपथ पत्र में लिखा है कि वादनी की माता दाखा बाई स्व0 गंगाराम की सम्पत्ति से उसका व वादनी का समस्त हक हिस्सा छोडकर नाते चली गई। बयान DW3 नन्दलाल ने अपनी जिरह में बताया कि प्रतिवादी मेरा ब्याई जी है में 12 महिने में एक दो बार मूण्डला चाला जाता है प्रेमबाई व दाखाबाई ने हिस्सा छोडने की कोई लिखा पढी नही हुई प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया कि वादनी की माता दाखा स्व0 गंगाराम की सम्पत्ति से उसका व वादनी का समस्त हक व हिस्सा छोडकर नाते चली गई थी। वादिनी द्वारा लगभग 50 वर्षो बाद नामांतरण खारिज करने का वाद प्रस्तुत किया गया है एवं इससे पूर्व नामांतरण की अपील नहीं की गई। वादी द्वारा यह साबित नही किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके हित्त विवादित आराजी में अर्न्तनिहित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 2005 के तहत, 1975 में नियमानुसार दर्ज नामांतरण को खारिज करने के लिए, अपना हक/अधिकार साबित करने का भार वादिनी पर था, जो वादिनी द्वारा नही किया गया है। इसलिए यह तनकी वादिनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा में बताया कि गंगाराम की आराजी में वादनी व उसकी मां0 दाखा बाई का कोई हक व हिस्सा नही है क्योकि वादनी की माता गंगाराम के फोत होने पर नाते चली गई थी। नाते गई पति की भूमि में वादनी का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिवादी का कब्जा 12 साल से अधिक होने से खातेदारी अधिकार समाप्त नही हो सकतें PW2 रामकल्याण ने अपने बयानों की जिरह में बताया कि गंगाराम के पिता का नाम छपना था यह कहना सही है कि गंगाराम उसके पिता के पहले ही मर गया था। यह कहना गलत है कि गंगाराम ने दो विवाह किये थे। यह सही है कि गंगाराम दाखा बाई को परण के लाया था। इससे यह साबित होता है कि वादनी की माता दाखा बाई गंगाराम की पत्नि थी। प्रतिवादी द्वारा भी वादिनी कों गंगाराम की पुत्री माना है इसलिए वादिनी का मृतक गंगाराम की सम्पत्ति में नियमानुसार साबित कर, अपना हिस्सा प्राप्त करने का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकार है, एक मात्र कब्जा काश्त लम्बे समय से प्रतिवादी का होने से वादनी के अधिकर समाप्त नही हो सकतें अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– चूंकि वादिनी द्वारा नामांतरण खारिज करने की अपील न कर, खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अन्तर्गत धारा 88 आरटीए वाद पेश किया है। जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अतः इसे अन्दर मियाद मानते हुए मेरिट पर निर्णय किया जाना उचित है। विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र सिविल नेचर का होना बताया है जबकि यह वाद पत्र सिविल नेचर का नही होकर राजस्व भूमि मे खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है जो इस न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार है अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से यह साबित होता है कि वादिनी द्वारा चाहे गए अनुतोष को वादिनी साबित करने मे विफल रही है। इसलिए वादिनी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिनी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)
डिक्री

वाद संख्या 142/2012	धारा 53,88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक— 26·3·25
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:—श्री कृष्णगोपाल भार्गव वादी		अभिभाषक प्रतिवादी—

वाद शीर्षक

उनवान

1. प्रेमबाई आयु 48 वर्ष पुत्री गंगाराम जाति काछी निवासी ग्राम मूंडला तहसील छबडा हाल नाहरगढ जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नारायण उर्फ नारायण पुत्र गंगाराम जाति काछी निवासी मूंडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0) — मृतक

1/1 लीलाबाई पत्नि नारायण जाति कुशवाह निवासी मूंडला

1/2 रामभरोसी उर्फ भरोसीबाई पुत्री नारायण पत्नि बद्रीलाल कुशवाह निवासी उतावली रोड छीपाबडौद

1/3 सुनीता पुत्री नारायण पत्नि राकेश कुशवाह निवासी उतावली तहसील

1/4 सावित्री पुत्री नारायण पत्नि राजु निवासी भीलवाडा नीचा तहसील छबडा

1/5 महावीर पुत्र नारायण जाति कुशवाह निवासी मूंडला

1/6 शीलाबाई पुत्री नारायण पत्नि बृजेश जाति कुशवाह निवासी हनुमान जी के मन्दिर के पास कुन्हाडी कोटा (राज0)

1/7 लालसिंह पुत्र नारायण — मृतक

1/7/1 देवकीबाई पत्नि लालसिंह कुयावाह निवासी मूंडला

1/7/2 बालवीर पुत्र लालसिंह कुशवाह निवासी मूंडला

1/7/3 गिर्राज पुत्र लालसिंह कुशवाह निवासी मूंडला

2. बद्रीलाल पुत्र छपना जाति काछी निवासी ग्राम मूंडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0) मृतक

2/1 मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल कुशवाह निवासी मूंडला

2/2 दीनानाथ पुत्र बद्रीलाल कुशवाह निवासी मूंडला तहसील छबडा जिला बारां

3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां जिला बारां (राज0)

4. राजथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिनी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26·3·25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		